न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–19/2020

बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक, उत्पाद दरभंगा बनाम मीना देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/2/2020	**आदेश** प्रस्तुत वाद अधीक्षक, उत्पाद दरभंगा के पत्रांक–33/म0नि0 दिनांक–06.01.2020 से प्राप्त उत्पाद वाद कांड सं0–1301/19 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन रजि0 नं0–BR07P-9914 (Mahindra Bolero) को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा दाखिल है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि उत्पाद पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल द्वारा माधोपट्टी सड़क किनारे छापामारी की गयी। छापामारी के क्रम में संदेह के आधार पर सड़क किनारे खड़ी महिन्द्रा बोलेरो गाड़ी BR07P-9914 की विधिवत् तलाशी लेने पर उक्त वाहन के पिछला और बीच के हिस्से में 08 बोरा में रखे कुल 840 पीस 300*ml* वाला नेपाली देशी शराब कुल 252.000 लीटर बरामद हुआ, जिसे उक्त वाहन के साथ विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है उक्त वाद नियमानुसार पोषणीय नहीं है। विपक्षी उक्त वाहन में अभियुक्त नहीं है। कॉमर्शियल वाहन को राज्यसात् नहीं किया जा सकता है। विपक्षी के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। अतः राज्यसात् की कार्यवाही बन्द करने की कृपा की जाय। उभयपक्ष को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन महिन्द्रा बोलेरा रजि0 नं0–BR07P-9914 से भारी मात्रा में 840 पीस 300*ml* का कुल 252.000 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामद हुआ है, जिसे उत्पाद अधिकारी द्वारा विधिवत् जब्त किया किया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कथन है कि विपक्षी उक्त वाद में अभियुक्त नहीं हैं। कॉमर्शियल वाहन को राज्यसात् नहीं किया जा सकता है। विपक्षी के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। इस संबंध में विपक्षी के वाहन का उपयोग अगर चालक अथवा किसी अन्य व्यक्ति	

द्वारा गलत काम में किया गया है तो उन पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में उत्पाद वाद कांड सं0–1301/19 (व्यवहार न्यायालय, दरभंगा) जब्त वाहन रजि0 नं0–BR07P-9914 (Mahindra Bolero) को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनर्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा	समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा